http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय स्वीकृति

संख्या-17/55/52-3-14-बजट(18)/2013

प्रेषक

जय प्रकाश पाण्डेय
उप सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

सचिव /कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 राज्य हज समिति
लखनऊ

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रान्तीय हज समिति को मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेत्तर)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के 0-904/52-3-13-बजट (18)/2013, दिनांक 3-4-2013 के अनुक्रम में तथा आपके पत्र संख्या-11/1361/ एस0एच0सी)/14 दिनांक 7-1-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 3-4-2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय व्ययक में प्रान्तिय हज समिति हेतु मानक मद सं0 -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,65,50,000/- तथा रू0 1,06,00,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में क्रमशः रू0 1,32,75,000/- तथा रू0 53,00,000/- अर्थात कुल रू0 1,85,75,000/- की धनराशि कतिपय शर्तो/ प्रतिबन्धो के अधीन स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी गयी थी।

2- □0प्र0 राज्य हज समिति के पत्र दिनांक 7-1-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार समिति द्वारा हज 2013 में हाजी सेवको को हज यात्रियों के सेवार्थ सउदी अरब नही भेजा जा सका जिसके कारण कार्यालय द्वारा खद्दामूल हुज्जाज हेतु प्रविधानित धनराशि रू0 201.50 लाख का उपयोग नही किया गया है। माह नवम्बर, 2013 □□ □□□□□ के विवरण के अनुसार इस मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मात्र रू0 15.00 लाख की धनराशि व्यय हुयी है तथा रू0 117.75 लाख की धनराशि अवशेष है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त अवशेष धनराशि में से वेतन के अतिरिक्त हज समिति के अन्य व्ययों को वहन करने हेतु रू0 15.00 □□ (रू0 पन्द्र लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की अनुमति पूर्व निधारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

3- □□□ □□ □0-31 के अन्तर्गत हज समि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनादि हेतु चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि रू0 53.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2013 तक का व्यय मात्र रू0 23.00 लाख है। कृपया वेतन हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31.1.2014 तक का वास्तविक व्यय व दिनांक 31.3.2014 तक संभावित व्यय के विवरण शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा यह भी अवगत कराया जाय कि वर्तमान में हज समिति को वेतन मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि में से हज के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा छठे वेतनमान आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतन अनुमन्य कराया जा रहा है।

भवदीय

(जय प्रकाश पाण्डेय)

http://shasanadesh.up.nic.in